



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट के 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व 14,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0-104/2010 धारा-323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.भाऊ सिंह उर्फ वीरसिंह पुत्र वंशगोपाल सिंह 2.अमर सिंह उर्फ जयसिंह पुत्र वंशगोपाल सिंह निवासीगण बैजेमऊ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष के कारावास व 14,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ अशोक
कुमार सिंह



पैरोकार- थाना सिसोलर
हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा